न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर,
मु.नं. 22/17 तारीख रजू 06.07.17 किस्म–प्रार्थना पत्र 14(4)
बउनवानी सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर **बनाम** बजरंगलाल

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनियशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5.07.18	पत्रावली पेश हुयी। वकील पेरोकार सरकार उप0। प्रकरण माननीय न्यायालय जिला कलेक्टर महोदय सवाई माधोपुर से स्थानान्तरण होकर वास्ते सुनवाई इस न्यायालय को प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रकरण आप द्वारा अप्रार्थी बजरंगलाल पुत्र कल्याण जाति ढोली निवासी सुरंग तहसील सवाई माधोपुर को आराजी खसरा नम्बर 154/263 रकबा 1.26 वाके ग्राम सुरंग मे किया गया अलॉटमेन्ट आदेश दिनांक 05.11.1975 के विरूद्व अलॉट शुदा भूमि पर आवंटी का कब्जा नहीं होने के कारण आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया था। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया है कि आप द्वारा जिस आवंटन आदेश दिनांक 05.11.1975 को निरस्त कराने की चुनोती दी गयी है, उस आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति पत्रावली में सलंग्न नहीं की गयी है। साथ अप्रार्थी को बार–बार नोटिस देने पर तामील कुनिन्दा द्वारा नोटिस की पुश्त पर यह रिपोर्ट अंकित की जा रही है कि उक्त नामा का कोई भी व्यक्ति ग्राम सुरंग में नही रहता है। अतः आप द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपूर्ण होने के कारण प्रकरण आपको लोटाया जाकर निर्देशित किया जाता है कि आप आवंटन आदेश दिनांक 05.11.1975 के आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करे एवं अप्रार्थी के वर्तमान पते की जानकारी करते हुये पुनः नये सिरे से प्रार्थना पत्र 14 (4) प्रस्तुत करे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।	